आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

सुधीर मित्तल से पहले, जे.

आशा याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 12184

14 मई, 2018

भारत का संविधान, 1950-वन विभाग-सेवा का नियमितीकरण-नीति दिनांक अक्टूबर, 2003-याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी और बाद में उसे श्रम न्यायालय के एक फैसले के माध्यम से सेवा में बहाल कर दिया गया था-मांग सेवा के नियमितीकरण की थी क्योंकि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को नीति का लाभ दिया गया था-आयोजित, जब नीति लागू की गई थी, तो याचिकाकर्ता को उसकी सेवाओं को समाप्त करने के रूप में नहीं माना जा सकता था-हालांकि सेवा में उसकी बहाली के बाद, उसी राहत (जैसा कि अन्य कर्मचारियों को अनुमति दी गई थी) से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 01/10/2003 नीति के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए विचार करने का हकदार था, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।श्रम न्यायालय के निर्णय से उन्हें फिर से सेवा में नियुक्त किया गया।नियमितीकरण की मांग फिर से उठाई गई थी, लेकिन इसे अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है, भले ही याचिकाकर्ता के रूप में समान रूप से स्थित व्यक्तियों को नीति दिनांक 01.10.2003 का लाभ दिया गया हो।इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांकित 01.10.2003 नीति के संदर्भ में भी नियमित किया जाना आवश्यक है।

(पैरा 4)

आगे कहा गया की रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। ।जब 01.10.2003 की नीति लागू थी, तो याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।इसके बाद, श्रम न्यायालय ने उनकी बहाली का आदेश दिया और पुरस्कार का पालन किया गया।समान रूप से स्थित व्यक्तियों की सेवाओं को उसके बाद नियमित कर दिया गया

है, जैसा कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक को संबोधित ज्ञापन दिनांक 07/09/2015 से स्पष्ट है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसी राहत से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

(पैरा 6)

793

आशा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(सुधीर मित्तल, जे.)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक सोनक,

गौरव जिंदल, ए. ए. जी., हरियाणा।

सुधीर मित्तल, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता दिनांकित 05.05.2015 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिसके तहत सेवा को नियमित करने के उसके दावे को खारिज कर दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता को सितंबर 1998 से वन विभाग में बेलदार के रूप में नियुक्त किया गया था।उनकी सेवाओं को 31.10.2003 पर समाप्त कर दिया गया था।उन्होंने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सेवा में निरंतरता और 50 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश देते हुए दिनांकित 25/05/2010 पुरस्कार पारित किया गया।इसके बाद, याचिकाकर्ता को फिर से सेवा में नियुक्त किया गया, लेकिन इस पुरस्कार को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।इस न्यायालय द्वारा पुरस्कार को बरकरार रखा गया था, हालांकि, बकाया वेतन वापस करने से इनकार कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने दिनांकित 01.10.2003 (अनुलग्नक पी-1) नीति के संदर्भ में नियमितीकरण की मांग की, लेकिन उसके दावे को दिनांकित 05.05.2015 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।इसलिए, रिट याचिका।

(3) राज्य की ओर से विस्तृत लिखित बयान दायर किया गया है और इसका जवाब भी दायर किया गया है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 01/10/2003 नीति के संदर्भ में नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने का हकदार था, लेकिन

वह इस पर विचार नहीं कर सकी क्योंकि उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।श्रम न्यायालय के निर्णय से उन्हें फिर से सेवा में नियुक्त किया गया।नियमितीकरण की मांग फिर से उठाई गई थी, लेकिन इसे अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है, भले ही याचिकाकर्ता के रूप में समान रूप से स्थित व्यक्तियों को नीति दिनांक 01.10.2003 का लाभ दिया गया हो।इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांकित 01.10.2003 नीति के संदर्भ में भी नियमित किया जाना आवश्यक है।

(5) विद्वान राज्य वकील दिनांकित 01.10.2003 नीति के संदर्भ में नियमितीकरण से इनकार करने के आदेश का समर्थन करते हैं।उनका निवेदन है कि उक्त नीति को कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी* में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वापस ले लिया गया था और इस प्रकार, उक्त नीति उस तारीख को लागू नहीं थी, याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिया।नतीजतन, विवादित आदेश उचित है।

(6) मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मैं विचार करें कि रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

---

* 2006 (4) एस. सी. सी. 794

जब 01.10.2003 की नीति लागू थी, तो याचिकाकर्ता पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।इसके बाद, श्रम न्यायालय ने उनकी बहाली का आदेश दिया और पुरस्कार का पालन किया गया।समान रूप से स्थित व्यक्तियों की सेवाओं को उसके बाद नियमित कर दिया गया है, जैसा कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक को संबोधित ज्ञापन दिनांक 07/09/2015 से स्पष्ट है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसी राहत से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ऐसा माना गया है।

मामले में हरि नंदन प्रसाद और एक अन्य बनाम नियोक्ता आई/आर मंगम्ट को पारित किया गया।एफ. सी. आई. और अन्य *

(7) विद्वान राज्य के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता दिनांकित 01.10.2003 नीति द्वारा कवर नहीं किया गया है, लेकिन इसे साबित करने में असमर्थ रहा है।समान रूप से

रखे गए व्यक्तियों की रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. में पारित सम तिथि के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है-

5908-2015 तिरसपाल और अन्य बनाम हवाना राज्य और

अन्य।विद्वान राज्य वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं है।

(8) इस प्रकार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर परिणामी लाभों के साथ डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.2003 को नियमित करने का निर्देश दिया जाता है।

—----------

* 2014 (2) एससीसी 190

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

दिव्या रानी